

1	2	3
मुख्य चुनाव आयुक्त	1	2
प्रभागीय आयुक्त	4	2
सरकार के सचिव	10	2
विशेष/अपर/संयुक्त/उप-सचिव	19	2
जनजातीय विकास आयुक्त	1	2
निदेशक, उद्योग	1	2
महानिरीक्षक, कारागार	1	2
महानिरीक्षक, पंजीयन	1	2
राज्य परिवहन आयुक्त	1	2
श्रम आयुक्त	1	2
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1	2
उपायुक्त/अपर उपायुक्त	22	2
बंदोबस्त अधिकारी/डीडीसी	1	2
आयुक्त, वाणिज्यिक कर	1	2
निदेशक, पंचायती राज	1	2
निदेशक, भूमि अधिग्रहण तथा भूमि रिकार्ड	1	2
कुल योग	77	

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत की दर से	31
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत की दर से	19
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत की दर से	03
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	13
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमवाली, 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, (उपर्युक्त मद 1, 2, 3 तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)	43
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6)	100

कुल प्राधिकृत पद संख्या 143

[फा. सं. 11031/7/2003-अ.भा.से. (ii)-क]

चैतन्य प्रसाद, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 22 अक्टूबर, 1955 की संख्या का.नि.आ. 3350 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। तत्पश्चात झारखण्ड संघर्ष के संबंध में, इन विनियमों में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं और तारीखों द्वारा किए गए :—

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 78(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमवाली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) और नियम 7 के उप-खण्ड (सी) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, झारखण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमवाली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन नियमवाली, 2008 है।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमवाली, 1955 की अनुसूची में "झारखण्ड" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"झारखण्ड"

पद का नाम	पदों की संख्या	तैनाती की न्यूनतम अवधि (वर्षों में)
1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	77	
मुख्य सचिव	1	—
विकास आयुक्त	1	2
आयुक्त और सचिव/प्रधान सचिव	6	2
राज्यपाल के सचिव	1	2
मुख्य मंत्री के सचिव	1	2

क्र.सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	808(अ)	21-10-2000
2.	809(अ)	21-10-2000
3.	443	03-12-2004

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2008

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 and sub-clause © of Rule 7 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Jharkhand, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (i) These Regulations shall be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Third Amendment Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Jharkhand" and the entries occurring thereunder the following shall be substituted namely:

"JHARKHAND

Name of Post	No. of Posts	Minimum tenure for posting (in years)
1	2	3
1 Senior Duty Post under The State Government	77	
Chief Secretary	1	-
Development Commissioner	1	2
Commissioner & Secretary/Principal Secretary	6	2
Secretary to Governor	1	2
Secretary to Chief Minister	1	2
Chief Electoral Officer	1	2
Divisional Commissioner	4	2
Secretary to Government	10	2
Spl./ Addl./ Jt./ Dy. Secretary	19	2
Tribal Development Commissioner	1	2
Director, Industries	1	2
I.G. Prison	1	2
I.G. Registration	1	2
State Transport Commissioner	1	2

5 GT/08-3

1	2	3
Labour Commissioner	1	2
Registrar, Cooperative Societies	1	2
Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner	22	2
Settlement Officer/ DDC	1	2
Commissioner, Commercial Taxes	1	2
Director, Panchayati Raj	1	2
Director, Land Acquisition & Land records	1	2
Total	77	
2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	31	
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	19	
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	3	
5. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	13	
6. Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33.3% of Item 1, 2, 3 & 4 above	43	
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+5-6)	100	
Total Authorised Strength	143	

[F. No. 11031/7/2003-AIS II-A]

CHAITANYA PRASAD, Director (Services)

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. SRO 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Jharkhand Cadre vide the following GSR Nos. and dates:

Sl. No.	GSR	Date
1.	808E	21-10-2000
2.	809E	21-10-2000
3.	443	03-12-2004